

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।

E-Mail Address - dfonnagar-forest-uk@nic.in Phone/Fax No.- 0135-2442052

पत्रांक:- 915. 115-2 दिनांक, मुनिकीरेती, 09/09/2021

सेवामें,

मुख्य वन संरक्षक,
आई0टी0जी0सी0, वन मुख्यालय
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :- कैन्टीन की पुर्ननिविदा सूचना को विभागीय वैबसाईट में अपलोड किये जाने सम्बन्धी।

महोदय,

नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती के अन्तर्गत गंगा वाटिका (सुमन पार्क), इन्द्रमणी बडोनी चौक के समीप, ढालवाला स्थित कैन्टीन संचालन बावत पुर्ननिविदा सूचना एवं अन्य शर्तें संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कृपया उक्त सूचना को विभागीय वैबसाईट www.forest.uk.gov.in पर अपलोड करने का कष्ट करें ताकि इसका व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा सके।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय


प्रभागीय वनाधिकारी
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।

डॉ. ए.ए.के.
डॉ. कपलेश कल
फेसी कल
CAF
2/99

गंगा वाटिका (सुमन पार्क), इन्द्रमणी बडोनी चौक के समीप, ढालवाला स्थित कैंटीन की निविदा हेतु नियम व शर्तें

- 1- सशर्त निविदा मान्य नहीं होंगे।
- 2- तकनीकी बिड एवं वित्तीय बिड के रूप में अलग-अलग निविदाएँ देय होंगी। तकनीकी बिड में जो निविदादाता सफल घोषित होंगे, उन्हीं की वित्तीय बिड मान्य होगी।
- 3- निविदा उन संस्थाओं/प्रतिष्ठित व्यक्तिगत कम्पनियों जिन्हें हॉस्पिटलिटी एवं फूड सेक्टर तथा फूडकोर्ट/कैंटीन संचालन करने का अनुभव हो, को प्राथमिकता दी जाएगी। ऐसा निविदादाता सम्बन्धित प्रमाण पत्र निविदा के साथ तकनीकी बिड में संलग्न करें।
- 4- निविदा की वैधता निविदा स्वीकृति की दिनांक से 02 वर्ष की अवधि के लिये होगी।
- 5- सफल निविदादाता को कैंटीन का दो माह का किराया अग्रिम रूप से जमा कराना होगा।
- 6- निविदादाता द्वारा स्वीकृत निविदा किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर हस्तान्तरण नहीं की जायेगी।
- 7- निविदादाता को निविदा के साथ आयकर विभाग के पैन कार्ड एवं जी0एस0टी0 प्रमाण- पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करनी होगी। (तकनीकी बिड में संलग्न करें)
- 8- निविदादाता द्वारा जिस कैंटीन हेतु निविदा दी जा रही है, के साथ संलग्न की जाने वाली प्रतिभूति की धनराशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक की सी0डी0आर0/एफ0डी0आर0 या पोस्ट ऑफिस की पास बुक होना अनिवार्य है। बन्धक धनराशि प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती, टिहरी गढवाल के नाम बन्धक होनी चाहिये। (तकनीकी बिड में संलग्न करें)
- 9- निविदा (वित्तीय बिड) के अनुमोदन के पश्चात तथा कार्यादेश निर्गत होने से पूर्व निविदादाता को अनुमोदित निविदा मूल्य की धनराशि (02 माह का किराया) अग्रिम जमा करनी होगी। उक्त निर्धारित समयान्तर्गत धनराशि जमा न करने पर निविदा निरस्त कर दी जाएगी एवं निविदादाता की सम्पूर्ण प्रतिभूति जमानत की धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
- 10- निविदादाता को नियमानुसार आयकर/जी0एस0टी0, स्टाम्प शुल्क तथा शासन द्वारा निर्धारित अन्य कर/शुल्क जमा करना होगा।
- 11- निविदादाता द्वारा पानी एवं विद्युत बिलों तथा जनरेटर सेट का उपयोग करने पर मीटर रीडिंग के अनुसार भुगतान स्वयं करना होगा।
- 12- यदि सफल निविदादाता निविदा की समयावधि (02 वर्ष) से पूर्व किसी भी कारण से निविदा को समाप्त करने का इच्छुक हो तो उसे प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती, कार्यालय को एक माह की अग्रिम सूचना देनी होगी।
- 13- गंगा वाटिका (सुमन पार्क) ढालवाला पॉलीथीन मुक्त क्षेत्र है अतः इस स्थान पर किसी भी प्रकार का पॉलीथीन का प्रयोग प्रतिबन्धित होगा तथा पार्क परिसर की सम्पूर्ण सफाई व्यवस्था निविदादाता का दायित्व होगा। निविदादाता द्वारा पार्क परिसर पर समुचित संख्या में कूड़े-दान का प्रबन्ध करना होगा। निविदादाता को कैंटीन क्षेत्र से उत्पादित समस्त कूड़े को जैविक व अजैविक रूप से पृथक-पृथक एकत्र कर उसका अपने व्यय पर समुचित निस्तारण किया जायेगा।
- 14- कैंटीन हेतु बेसिक फर्नीचर, आवश्यक साज सज्जा एवं अन्य सुविधायें जैसे-किचन, क्रॉकरी, स्टॉल सजावट आदि निविदादाता को स्वयं करनी होगी।
- 15- यदि किसी भी प्राकृतिक या अन्य किसी कारण से निविदादाता को कैंटीन से आय प्रभावित होती है, तो इसकी प्रतिपूर्ति के लिये वन विभाग किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगी। निविदादाता द्वारा बीमा आदि का व्यय स्वयं वहन करना होगा।
- 16- कैंटीन निविदादाता को जिस स्थिति में दिया जायेगा निविदा की अवधि समाप्ति पर निविदादाता को उसी स्थिति में विभाग को सौंपना होगा। विभागीय सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने पर समुचित धनराशि जिसका वन विभाग द्वारा निर्धारण किया जाएगा, निविदादाता द्वारा देय होगी।

- 17- कैंटीन क्षेत्र में किसी भी प्रकार का निर्माण/मरम्मत कार्य बिना अनुमति के अवैध होगा। अनुमति के अनुरूप किया गया निर्माण निविदा अवधि समाप्त होने के पश्चात् ऐसी समस्त नव-निर्माण कार्य को उसी स्थिति में वन विभाग को बिना किसी देय के लौटाना होगा।
- 18- निविदा की शर्तों के अनुरूप संचालन का पूर्ण उत्तरदायित्व निविदादाता का होगा। काम पर लगाये जाने वाले सभी कार्मिकों का वेतन एवं अन्य भत्तों का भुगतान निविदादाता को स्वयं करना होगा। कार्य हेतु रखे गये कार्मिकों के ई0पी0एफ0 आदि समस्त भुगतान निविदादाता द्वारा नियमानुसार किये जाएंगे। वन विभाग किसी भी कार्मिक का वेतन, अन्य भत्तों एवं अन्य किसी भी प्रकार के भुगतान या दावे हेतु उत्तरदायी नहीं होगी।
- 19- कैंटीन पर तैनात किये जाने वाले कार्मिकों का नाम पता एवं दूरभाष नम्बर एवं पुलिस सत्यापन का प्रमाणपत्र प्रबन्धन संस्था को अनिवार्य रूप से देना होगा तथा कार्मिकों को पहचान हेतु आई-कार्ड प्रदान करना होगा।
- 20- कैंटीन क्षेत्र में किसी भी प्रकार का साउण्ड सिस्टम एवं लाउडस्पीकर बजाना प्रतिबन्धित होगा।
- 21- कैंटीन क्षेत्र में नशीला पदार्थ रखना/विक्रय करना या नशेराखण्ड रखना प्रतिबन्धित होगा।
- 22- कैंटीन क्षेत्र में सभी आईटमों की दरों को प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा।
- 23- प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती, टिहरी गढवाल की बिना आज्ञा के वन विभाग/उत्तराखण्ड शासन के नाम/लोगो का किसी भी प्रकार प्रयोग वर्जित होगा।
- 24- निविदादाता द्वारा उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती निविदा निरस्त/जुर्माना करने हेतु स्वतंत्र होंगे।
- 25- वन विभाग उपरोक्त के अतिरिक्त आवश्यकता अनुसार अन्य कोई भी शर्त अधोरोपित करने हेतु स्वतंत्र होगा।
- 26- प्राप्त निविदाओं को स्वीकार/निरस्त करने का पूर्ण अधिकार प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती, टिहरी गढवाल के पास सुरक्षित होगा।


 प्रभागीय वनाधिकारी
 नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।


कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।

E-Mail Address - dfonnagar-forest-uk@nic.in Phone/Fax No.-0135-2442052

पत्रांक:- 915 / 15-2 दिनांक, मुनिकीरेती, 09/09/2021

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनाय एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मुख्य वन संरक्षक, (गढवाल) उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड, मुनिकीरेती।
3. जिला सूचना अधिकारी, टिहरी।
4. उप प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर/देवप्रयाग।
5. मुख्य वन संरक्षक, आई0टी0जी0सी0, वन मुख्यालय उत्तराखण्ड को विभागीय वेब साईट पर अपलोड करने हेतु।
6. कार्यालय सूचना पट्ट हेतु।


 प्रभागीय वनाधिकारी
 नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।